18.12.2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 28,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रामविचार नेताम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1173/1258/सात–1/2024, दिनांक 13 दिसम्बर,2024 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, जिला– मुंगेली के ग्राम बरदुली, दशरंगपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–130 ए से प्रभावित भू–स्वामियों को मुआवजा प्रदान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर संभाग अंतर्गत वनाधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) गोकुल नगर से कचंदूर सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण करने,

(ii) कोहका से भेलवा तालाब तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण करने,

(iii) छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने,

(iv) वार्ड क्रमांक 24 एवं 25 के मध्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(2) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम मगरधोखरा से झिथराटोला के मध्य नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम मंगियाटोला में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम उमरवाही में पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने,

(3) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत –

(i) ग्राम चंगोरी में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम करमा में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम किरारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iv) अकलतरा में राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय भवन निर्माण करने,

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम लिमऊडीह बर ब्लाक नदी पर कट बांध एवं नहर नाली निर्माण करने,

(ii) ग्राम सम्बलपुर में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(5) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य –

(i) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ईटवा में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगवां में पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iii) जिला मुख्यालय बिलासपुर स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन निर्माण करने,

(iv) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मस्तूरी में विश्राम गृह निर्माण करने,

(6) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) हायर सेकेण्डरी स्कूल स्टेशन मड़ोदा का भवन निर्माण करने,

(ii) हायर सेकेण्डरी स्कूल कुथरेल का भवन निर्माण करने,

(iii) लोक निर्माण विभाग, दुर्ग द्वारा किये गये निर्माण कार्य से प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा प्रदान करने,

(7) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, जिला–महासमुंद अंतर्गत –

(i) ग्राम घाटकछार में पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने तथा

(ii) ग्राम केदुआ में महाविद्यालय खोलने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

6. वित्तीय वर्ष 2024–2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 41, 44, 53, 55, 56, 64, 65, 67, 68, 71, 80, 81, 82 एवं 83 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **आठ सौ पांच करोड़, इकहत्तर लाख, चौहत्तर हजार, दो सौ छियासी रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

(शेष चर्चा)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (3) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 4

30 मिनट (6) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (7) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

8. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–05 (क्रमांक–426) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024